क्रम-संख्या—14

रजिस्ट्रेशन नम्बर-जी०-11/लाई०-
न्यूज पेपर/91/05-06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 5 फरवरी, 2007

माघ 16, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग—1

संख्या 142/79—वि-1-01(क) 2-2007
लखनऊ, 5 फरवरी, 2007

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 2 फरवरी, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2007

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2007)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1983 की धारा 2 का संशोधन

2–संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,–

(क) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(ग–1) 'विभागाध्यक्ष' का तात्पर्य किसी विभाग के प्रशासनिक अध्यक्ष से है जो उस विभाग का ज्येष्ठतम् आचार्य होगा"

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी विभाग में कोई आचार्य न हो, तो संकाय का ज्येष्ठतम् सदस्य, जो सह आचार्य से निम्न पंक्ति का न हो, उस विभाग में विभागाध्यक्ष होगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ किसी विभाग में ज्येष्ठतम् सदस्य स्वेच्छा से हट जाता है और कोई सह आचार्य या उसकी पंक्ति से ऊपर का कोई व्यक्ति नहीं रह जाता है, तो शासी निकाय द्वारा पदाभिहित कोई संकाय सदस्य उस विभाग में विभागाध्यक्ष होगा।

(ख) खण्ड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

(झ) 'अध्यापक' के अन्तर्गत आचार्य, अपर आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य या संस्थान में शिक्षण या शोध कार्य या चिकित्सा शिक्षा देने के लिये इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति भी है।

धारा 18 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 18 में, उपधारा (1) में,–

(क) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, चिकित्सा शिक्षा विभाग, पदेन"

(ख) खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(ङ) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश"

धारा 20 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 20 में, उपधारा (2) में खण्ड (तीन) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(तीन) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश।"

धारा 21 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 21 में, उपधारा (1) में खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(ख) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, चिकित्सा शिक्षा विभाग।"

धारा 22 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 22 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति

"22 (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उतने अध्यापक और समूह "क" के अधिकारी, जितने आवश्यक हों, अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किये जायेंगे और समूह "ख" के उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जितने आवश्यक हों, निदेशक द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

(2) जैसा उपधारा (1) में उपबन्धित है, उसके सिवाय, संस्थान के अधिकारी, अध्यापक और अन्य कर्मचारी ऐसी रीति और पदनाम से और श्रेणियों में नियुक्त किये जायेंगे जैसा विनियमों में निर्धारित किया जाय।

(3) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त संस्थान के अधिकारी, अध्यापक और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और ऐसी सेवा शर्तों द्वारा शासित होंगे जैसी कि विनियमों में निर्धारित की जाये।

(4) कोई भी व्यक्ति संस्थान का अध्यापक तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह विनियमों में इस निमित्त निर्धारित अर्हतायें पूरी न करता हो और जैसा कि उपधारा (9) में उपबन्धित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त गठित समिति द्वारा ऐसी नियुक्ति के लिये संस्तुत न किया जाय।

(5) संस्थान के आचार्य की नियुक्ति के लिये चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :–

(क) निदेशक ;

(ख) प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन ;

(ग) तीन विशेषज्ञ जो कुलाध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे ;

(घ) ऐसे अन्य व्यक्ति, जो विहित किये जायें ;

(ङ) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।

(6) संस्थान के आचार्य से भिन्न अध्यापक की नियुक्ति के लिये चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :–

(क) निदेशक ;

(ख) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश ;

(ग) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष ;

(घ) अपर आचार्य के चयन के लिये तीन विशेषज्ञ तथा सह आचार्य और सहायक आचार्य के चयन के लिये दो विशेषज्ञ जो कुलाध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे ;

(ङ) ऐसे अन्य व्यक्ति, जो विहित किये जायें।

(7) इस अधिनियम के अधीन गठित चयन समिति ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जैसी नियमों द्वारा विहित की जाय या विनियमों में निर्धारित की जाय।

(8) चयन समिति द्वारा की गयी कोई संस्तुति तब तक विधि मान्य नहीं मानी जायेगी जब तक वह उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा समर्थित न हो :

परन्तु आचार्य या अपर आचार्य के चयन के लिये किसी चयन समिति के मामले में कम से कम दो विशेषज्ञों की उपस्थिति और सह आचार्य तथा सहायक आचार्य के चयन के लिये गठित किसी चयन समिति के मामले में कम से कम एक विशेषज्ञ की उपस्थिति आवश्यक होगी।

(9) जहाँ चयन समिति उपधारा (8) के उपबंधों के अनुसार संस्तुति करने में विफल रहे वहाँ चयन समिति का कार्यवृत्त अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा जो उसे अपने विचारों के साथ कुलाध्यक्ष को उसके निदेश के लिये अग्रसारित करेगा और कुलाध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(10) जहाँ चयन समिति की संस्तुतियां नियुक्ति प्राधिकारी को स्वीकार्य न हों, वहां वह ऐसी संस्तुति के प्रति आपत्ति के आधार को सुस्पष्ट रूप में विनिर्दिष्ट करते हुए, सम्पूर्ण मामला कुलाध्यक्ष को संदर्भित करेगा और कुलाध्यक्ष का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु कुलाध्यक्ष के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह पुनः विचार के लिये मामला चयन समिति को भेजे या मामले पर विचार करने के लिये दूसरी चयन समिति के गठन किये जाने की अपेक्षा करे।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिये 'समूह क' के अधिकारी और 'समूह ख' के अधिकारी ऐसे अधिकारी होंगे जैसे विनियमों में उस रूप में विनिर्दिष्ट या पदाभिहित हैं।

उद्देश्य और कारण

राज्य की जनता के लिये आधुनिक चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराना राज्य सरकार का दायित्व एवं प्राथमिकता है। वर्तमान में राज्य में संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा अतिविशिष्ट चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है। संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की अतिविशिष्टता को दृष्टिगत रखते हुए संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के संकाय सदस्यों व कर्मचारियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के समान वेतन, भत्ते व अन्य सुविधायें प्रदान की जा रही है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एवं अन्य संस्थाओं में विभागाध्यक्ष के पद के पृथक रूप से सृजन के लिये कोई उपबन्ध नहीं है। इन सभी संस्थाओं में ज्येष्ठ आचार्य या ज्येष्ठ संकाय सदस्य को विभागाध्यक्ष के रूप में नामित किये जाने की प्रक्रिया है। संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में विभागाध्यक्ष का कोई पद पृथक रूप से सृजित नहीं किया गया है।

अतएव, अब यह विनिश्चय किया गया है कि मुख्यतः विभागाध्यक्ष को परिभाषित करने और अध्यापकों की नियुक्ति के लिये चयन समिति में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को सम्मिलित करने के लिये संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1983) को संशोधित किया जाय।

तदनुसार संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2007 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR

VIDHAYI ANUBHAG–1

NO. 142/LXXIX-V-1-1(ka)2-2007

Dated Lucknow, February 5, 2007

NOTIFICATION

Miscellaneous

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Sanjay Gandhi Snatkottar Ayurvigyan Sansthan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 1 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 2, 2007 :—

THE SANJAY GANDHI POST GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AMENDMENT) ACT, 2007

(U.P. ACT NO. 1 OF 2007)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences Act, 1983.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows:–

Short title

1. This Act may be called the Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2007.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 30 of 1983

2. In section 2 of the Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences Act, 1983, hereinafter referred to as the principal Act,–

(a) after clause (c) the following clause shall be *inserted*, namely:–

"(C-1) "Head of the Department" means the administrative Head of a Department who shall be the senior most Professor of that Department :

Provided that if there is no Professor in a Department then the senior most faculty member not below the rank of Associate Professor shall be the Head of the Department in that Department :

Provided further that where in a Department the senior most person voluntarily withdraws and there is no Associate Professor or any person above the rank thereof a faculty member designated by the Governing Body shall be the Head of the Department in that Department."

(b) *for* clause (i) the following clause shall be *substituted*, namely :–

"(i) "Teacher" includes a Professor, Additional Professor, Associate Professor, Assistant Professor or any person appointed under this Act for the conduct of teaching or research work or imparting medical education in the institute."

Amendment of section 18

3. In section 18 of the principal Act, in sub-section (1),–

(a) *for* clause (c) the following clause shall be *substituted*, namely :–

"(c) Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Medical Education, *ex-officio*."

(b) for clause (e) the following clause shall be *substituted*, namely :–

"(e) the Director General, Medical Education, Uttar Pradesh."

Amendment of section 20

4. In section 20 of the principal Act, in sub-section (2) *for* clause (iii) the following clause shall be ***substituted***, namely :–

"(iii) the Director General, Medical Education, Uttar Pradesh."

Amendment of section 21

5. In section 21 of the principal Act, in sub-section (1) *for* clause (b) the following clause shall be ***substituted***, namely :–

"(b) Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Medical Education."

Amendment of section 22

6. *For* section 22 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:–

"22 (1) Subject to the provisions of this Act, such number of teachers and Group 'A' officer, as may be necessary, shall be appointed by the President, and such number of Group 'B' officers and other employees as may be necessary, shall be appointed by the Director.

Appointment of teachers and others staff

(2) Save as otherwise provided in sub-section (1), the officers, teachers and other employees of the Institute shall be appointed in such manner and with such designations and grades as may be laid down in the regulations.

(3) The officers, teachers and other employees of the Institute appointed under this Act shall be entitled to such salary and allowances and shall be governed by such conditions of services as may be laid down in the regulations.

(4) No person shall be appointed as a teacher of the Institute unless he fulfils the qualifications laid down in the regulations in this behalf and except as provided in sub-section (9), is recommended for such appointment by a Selection Committee constituted in this behalf under this Act.

(5) The Selection Committee for the appointment of a Professor of the Institute shall consist of—

(a) the Director;

(b) the Principal Secretary/Secretary of Medical Education, Uttar Pradesh Government;

(c) three experts to be nominated by the Visitor;

(d) such other persons as may be prescribed;

(e) Head of the Department concerned.

(6) The Selection Committee for the appointment of a teacher, other than Professor of the Institute shall consist of—

(a) the Director;

(b) the Director General Medical Education, Uttar Pradesh;

(c) Head of the Department concerned;

(d) three experts for the selection of Additional Professor and two experts for the selection of Associate Professor and Assistant Professor to be nominated by the Visitor;

(e) such other persons as may be prescribed.

(7) The Selection Committee constituted under this Act shall follow such procedure as may be prescribed by the rules or laid down in the regulations.

(8) No recommendation made by the Selection Committee shall be considered to be valid unless it is supported by a majority of the members present:

Provided that in the case of a Selection Committee for the selection of Professor or Additional Professor the presence of at least two experts and in the case of a Selection Committee constituted for the selection of Associate Professor and Assistant Professor the presence of at least one expert shall be necessary.

(9) Where the Selection Committee fails to make recommendations in accordance with the provisions of sub-section (8), the minutes of the Selection Committee shall be submitted to the President who shall forward the same, along with his views thereon to the Visitor for his direction and the decision of the Visitor shall be final.

(10) Where the recommendations of the Selection Committee are not acceptable to the appointing authority, it shall refer the whole case to the Visitor specifying the grounds of objection to such recommendations in precise terms and the decision of the Visitor thereon shall be final:

Provided that it shall be lawful for the Visitor to refer the case to the Selection Committee for reconsideration or to require another Selection Committee to be constituted for consideration of the case.

Explanation :-For the purposes of this section, Group-A officers and Group-B officers shall be such officers as are specified or designated as such in the regulations."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

It is the responsibility and priority of the State Government to provide modern facility to the people of the State. At present superspecial medical facilities are being provided in the State by Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences, Lucknow. Keeping in view of the super speciality of Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences, Lucknow, the pay, allowances and other facilities are being provided to the faculty members and employees of Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences similar to that of All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. There is no provision of creation of the post of Head of the Department separately in All India Institute of Medical Sciences and other institutions. There is procedure to nominate Senior Professor or senior faculty member as Head of the Department in all these institutions. No post of Head of Department has been created separately in Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences, Lucknow.

It has, now been decided to amend the Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences Act, 1983 (U.P. Act no. 30 of 1983) mainly to define the Head of the Department and to include the Head of the Department concerned in Selection Committee for appoint of teachers.

The Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences (Amendment) Bill, 2007 is introduced accordingly.

By order,
VIRENDRA SINGH,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 3388 राजपत्र (हि०)–(7170)–2007–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 243 सा० विधा०–(7171)–2007–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।